सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2021/83 दर्ज तिथिः–22.03.2021

1. सुन्दर कंवर पुत्री गणेशाजी पत्नी रूगनाथसिंह
   जाति राजपुत निवासी जीवाणियों की ढाणी हाल सिवाना तहसील सिवाना

.....वादी

बनाम

1. भंवरसिंह पुत्री गणेशाजी फौत के वारिसान
   1/1 शैतानसिंह पुत्र भंवरसिंह
   1/2 राजूसिंह पुत्र भंवरसिंह
   1/3 महेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह
   1/4 दरिया कंवर पुत्री भंवरसिंह
   1/5 शान्ताकंवर पुत्री भंवरसिंह
   1/6 कमलाकंवर पुत्री भंवरसिंह
   1/7 मिसरी कवंर पत्नी भंवरसिंह
   जाति राजपुत निवासी जीवाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी।
2. शाखा प्रबधंक एसबीआई बैंक शाखा गुड़ामालानी
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी
4. मांगी कंवर पुत्री गुणेशाजी पत्नी चतरसिंह
   जाति राजपुत निवासी सिणधरी तहसील सिणधरी।
5. कानू कंवर पुत्री गुणेशाजी पत्नी मिश्रसिंह
   जाति राजपुत निवासी जीवाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री हरीशचन्द्र चौधरी
प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7
–श्री चिमनसिंह चौधरी
शेष प्रतिवादीगणः–एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–27.03.2026

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:25 IST
Reason: SelfAttested

1. आज यह पत्रावली दावा बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। हस्तगत वाद पत्र निणर्यन हेतु प्रकरण का सारतः सूक्ष्म विवरण इस प्रकार से हैः–

1.1 कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही खानदान से है। जो हिन्दु विधि से शासित होते है जिसके पूर्व पुरूष प्रागा है। उक्त हिन्दु परिवार का वंशवृक्ष निम्नानुसार है–

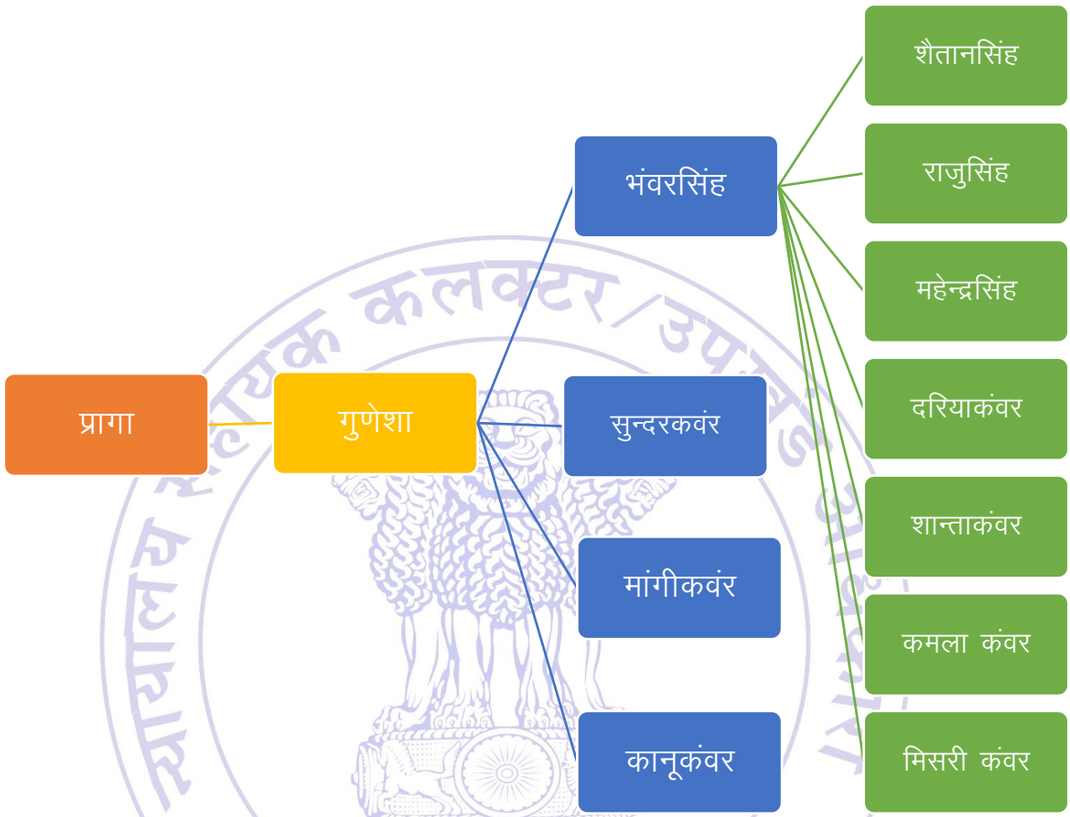

1.2 कि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 655 रकबा 08–08 बीघा, 668 रकबा 30–13 बीघा मौजा जीवाणियों की ढाणी पटवार हल्का बारासण तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा एवं शेष प्रतिवादीगण का है।

1.3 कि मुतनाजा आराजी का पर्चा लगान वादी के पिता गणेशाजी के नाम से जारी हुआ। गणेशाजी के फौत होने पर फौतगी का नामान्तरण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के नाम नहीं खोला जा कर अकेले प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7 के पिता भंवरसिंह के नाम से खोला गया। जबकि मुतनाजा आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा निहित था। इस प्रकार वादी 1/4 हिस्से की घोषणा करने की अधिकारी है।

1.4 कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 व 8 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–40 के अनुसार गणेशाजी के फौत होने पर गणेशाजी के पुत्र–पुत्रियों वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 5 का बहिस्सा बराबर 1/4–1/4 निहित हो गया। लेकिन वादिनी का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं होने के कारण भंवरसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7 वादिनी को बेदखल करने की धमकिया दे रहे है तथा वादिनी के हिस्से की जमीन को बेचान करने पर उतारू है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:25 IST
Reason: SelfAttested

1.5 कि प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7 वादिनी को अपने हिस्से की जमीन से बेदखल करने एवं मुतनाजा आराजी को बेचान करने पर उतारू है। प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि को बेचान नहीं करने एवं दखलअंदाजी नहीं करने तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखने की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7 असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष प्रतिवादीगण विधिवत तामिल बावजूद अनुपस्थित होने के कारण अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7 द्वारा जबाव प्रस्तुत करते हुए निम्न प्रकार निवेदन किया:–

2.1. कि वादिनी द्वारा प्रस्तुत सजरा में अपने आप को सदस्या बताया गया है लेकिन वादिनी का उक्त परिवार से कोई लेना देना नहीं है। वादिनी सर्वप्रथम सेशन न्यायालय से अपने को वारिस घोषित करवाए तत्पश्चात वाद पेश करे।

2.2. कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के पुर्वपुरूष की है तथा वक्त सेटलमेंट से प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादिनी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। वादिनी द्वारा मात्र राशन कार्ड व जनआधार कार्ड प्रस्तुत किया है। जिससे यह साबित नहीं हो सकता कि वादिनी गणेशा की वारिसान है।

2.3. कि वादिनी गुणेशा की विधिक वारिसान नहीं होने से उक्त वादग्रस्त आराजी में वादिनी का कोई कब्जा काश्त नहीं होने से वादिनी को कब्जे से बेदखल करने का विवाद ही पैदा नहीं होता है। वादिनी द्वारा वाद मनगढ़त तथ्यों पर पेश किया हुआ होने के कारण वाद खारिज किया जावे।

3. प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के पश्चात् पत्रावली पर निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये:–

1. आया वादी मुतनाजा आराजी के पैतृक संपति होने के आधार पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के तहत 1/4 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।

.....वादी

2. आया वादी मुतनाजा आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

.....वादी

3. आया वादी गुणेशा की विधिक वारिस नहीं है।

.....प्रतिवादी

4. आया वादी का मुतनाजा आराजी पर कब्जा नहीं होने के कारण वादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

.....प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:25 IST
Reason: SelfAttested

5. आया वादी को उक्त आराजी में कोई विधिक अधिकार नहीं होने के कारण दावा वादी काबिल–ए–खारिज है।

.....प्रतिवादी

6. अन्य दादरसी

.....उभय पक्षकारान

4. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए–

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
खतौनी बंदोबस्त	ग्राम गुडाखास संवत 2012–2039	प्रदर्श–01
नामान्तरण	नामान्तरण संख्या 976 ग्राम गुड़ामालानी	प्रदर्श–02
जमाबंदी	खाता संख्या 69 मौजा जीवाणियो की ढाणी	प्रदर्श–03
नक्शा	नक्शा किश्तवार ग्राम जीवाणियो की ढाणी	प्रदर्श–04
मतदाता परिचय पत्र	सुन्दर कंवर पति रघुनाथ सिंह	प्रदर्श–06

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
सुन्दर कंवर पुत्री गणेशाजी पत्नी रूगनाथसिंह	राजपुत	जीवाणियो की ढाणी हाल सिवाना	पी0डब्ल्यू0–1
भंवरसिंह पुत्र डूंगरसिंह	राजपुत	जीवाणियो की ढाणी	पी0डब्ल्यू0–2

6. प्रकरण में वादी साक्ष्य सुन्दर कंवर पुत्री गणेशाजी पत्नी रूगनाथसिंह पी.डब्ल्यू.–01, भंवरसिंह पुत्र डूंगरसिंह पी0डब्ल्यू0–2 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये– सत्यमेव जयते

- कि कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही खानदान से है। जो हिन्दु विधि से शासित होते है जिसके पूर्व पुरूष प्रागा है।
- कि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 655 रकबा 08–08 बीघा, 668 रकबा 30–13 बीघा मौजा जीवाणियों की ढाणी पटवार हल्का बारासण तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा एवं शेष प्रतिवादीगण का है।
- कि मुतनाजा आराजी का पर्चा लगान वादी के पिता गणेशाजी के नाम से जारी हुआ। गणेशाजी के फौत होने पर फौतगी का नामन्तरण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के नाम नहीं खोला जा कर अकेले प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7 के पिता भंवरसिंह के नाम से खोला गया। जबकि मुतनाजा आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा निहित था। इस प्रकार वादी 1/4 हिस्से की घोषणा करने की अधिकारी है।
- कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 व 8 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–40 के अनुसार गणेशाजी के फौत

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:25 IST
Reason: SelfAttested

होने पर गणेशाजी के पुत्र–पुत्रियों वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 5 का बहिस्सा बराबर 1/4–1/4 निहित हो गया। लेकिन वादिनी का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं होने के कारण भंवरसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7 वादिनी को बेदखल करने की धमकिया दे रहे है तथा वादिनी के हिस्से की जमीन को बेचान करने पर उतारू है।

- कि प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7 वादिनी को अपने हिस्से की जमीन से बेदखल करने एवं मुतनाजा आराजी को बेचान करने पर उतारू है। प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि को बेचान नहीं करने एवं दखलअंदाजी नहीं करने तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखने की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।
- इसके समर्थन में वादीगण द्वारा पैरा संख्या 04 में अंकित दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित करवाए।

7. प्रकरण में सुन्दर कंवर पुत्री गणेशाजी पत्नी रूगनाथसिंह पी.डब्ल्यू.–01 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में रूप से अभिकथन किया कि जिस जमीन का मैंनें दावा किया है यह जमीन बारासण की सर्किल में है। वादग्रस्त जमीन के खसरा संख्या मुझे याद नहीं है। मेरी उम्र 70–72 वर्ष है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हू। क्योंकि पहले पढ़ाते नहीं थे। मेरी शादी किए हुए 60 वर्ष से उपर हुए है। मेरा ससुराल जसोल ग्राम में है। मेरी शादी के बाद मेरा घर वहां ही है। मेरे दो पुत्र है राणसिंह व मूलसिंह है। मेरे पति रूगनाथसिंह का देहांत हुए 10 साल हो गए है। हमारे जमीन को काका ससुर ने बेचान कर दी उनका नाम मुझे याद नहीं है। कि मैंने नामान्तरण की नकले व खतौनी ली इसकी तारीख हमे याद नहीं। मेरे बेटे ने आकर वकील के मार्फत यह कागज लेकर यह करवाया है। कि मेरे बेटे ने आकर यह वाद करवाया। यह कहना सही है कि आज और पूर्व के समय के जमीनों में भाव बढ़ गए। यह कहना गलत है कि मेरे पीहर व ससुराल में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। तीज त्योहार पर मेरे भाई बैठे थे तब बुलाते थे अब कोई नही बुलाता है। मेरे भाई का नाम भवसिंह है। मेरा भाई संसार में नही है। यह जमीन भतीजो के नाम भी नही है। मेरा दादोसा का नाम प्रागजी है। दादाजी का स्वर्गवास हुआ तब मेरा जन्म भी नही हुआ था। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुए 39 वर्ष हुए है। तब मैं शादीशुदा थी। उस समय भी मैं सोचती समझती थी। मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मेरे अनपढ होने के कारण मेरे बेटे के कहे अनुसार वकील साहब ने तैयार किया। मुझे तो कहा कि इसमें लिखा वैसे बोलना है। शपथ पत्र में कितनी जगह मेरे अगुंठे है और कितने पैरा है मुझे मालूम नहीं है।

8. प्रकरण में भंवरसिंह पुत्र डूंगरसिंह पी.डब्ल्यू.–2 से प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं किये जाने से जिरह शुन्य।

9. प्रकरण में वादीगण साक्ष्य के पश्चात् पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए–

10. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
शैतानसिंह पुत्र भंवरसिंह	राजपुत	जीवाणियो की ढाणी	डी0डब्ल्यू0–01

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:25 IST
Reason: SelfAttested

बलवंतसिंह पुत्र जोधसिंह	राजपुत	जीवाणियो की ढाणी	डी0डब्ल्यू0–02

11. प्रकरण में शैतानसिंह पुत्र भंवरसिंह डी0डब्ल्यू0–01, बलवंतसिंह पुत्र जोधसिंह डी0डब्ल्यू0–2 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये–
    - कि वादिनी द्वारा प्रस्तुत सजरा में अपने आप को सदस्या बताया गया है लेकिन वादिनी का उक्त परिवार से कोई लेना देना नहीं है। वादिनी सर्वप्रथम सेशन न्यायालय से अपने को वारिस घोषित करवाए तत्पश्चात वाद पेश करे।
    - कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के पुर्वपुरूष की है तथा वक्त सेटलमेंट से प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादिनी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। वादिनी द्वारा मात्र राशन कार्ड व जनआधार कार्ड प्रस्तुत किया है। जिससे यह साबित नहीं हो सकता कि वादिनी गणेशा की वारिसान है।
    - कि वादिनी गुणेशा की विधिक वारिसान नहीं होने से उक्त वादग्रस्त आराजी में वादिनी का कोई कब्जा काश्त नहीं होने से वादिनी को कब्जे से बेदखल करने का विवाद ही पैदा नहीं होता है। वादिनी द्वारा वाद मनगढ़त तथ्यों पर पेश किया हुआ होने के कारण वाद खारिज किया जावे।
    - कि वादिनी वर्तमान में जमीनों भाव बढ़ने एवं दहेज की उंची मांग कर उक्त वाद पेश किया गया है। जबकि वादिनी को प्रतिवादीगण द्वारा अपने हैसयित से मामेरा इत्यादि किया हुआ है। वादिनी का वाद प्रतिवादीगण को परेशान करने करने की नियत से पेश किया हुआ होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

12. प्रकरण में शैतानसिंह पुत्र भंवरसिंह डी0डब्ल्यू0–01 ने वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि मैं कम पढा लिखा हू खाली हस्ताक्षर करना जानता हूं। मैंने जमीन लेने के लिए यह दावा किया है। यह दावा सुन्दर कंवर ने किया है। सुन्दर कंवर मेरे बुआ लगती है। सुन्दर कंवर गुणेशाजी की पुत्री है। गणेशाजी के तीन बेटियां है और एक बेटा है। तीन बेटिया सुन्दर, मांगी और कानू है और बेटे का नाम भंवरसिंह है। भंवरसिंह, सुन्दर कंवर का सगा भाई है। गणेशाजी मेरे दादा लगते थे। गणेशाजी को फौत हुए काफी समय हो गया है उस समय मेरा जन्म भी नहीं था। जमीन का सेटलमेंट गणेशाराम के नाम से दर्ज हुई। गणेशाराम के फौत हुए तब मेरे पिताजी भंवरसिंह के नाम म्युटेशन खोला गया था। मेरी तीनो भुआएं अनपढ़ है। गणेशाजी फौत हुए उससे पहले ही मेरी तीनों भुआओं को ससुराल भेज दिया गया था। मेरे दादा फौत हुए तब मेरी तीनों भुआएं आई थी। मेरे पिताजी भंवरसिंह को फौत हुए करीब 6–7 साल हुए है। मेरे पिताजी फौत हुए तब भी मेरी भुआएं आई थी। मेरे पिताजी के फौत हुए उनके बाहरवें में आई थी लेकिन म्युटेशन के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। खेत की खतोनिया व मिसल बंदोबस्त बताने पर कहा कि मैं अनपढ़ हु दस्तावेजों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। खेत के कब्जे को लेकर हमारे आपस में कभी कोई विवाद नहीं हुआ। शपथ पत्र मैंने मेरे वकील साहब के यहां लिखवाया। शपथ पत्र में क्या लिखा हुआ है मैं अनपढ़ हूं। कब्जे को लेकर हमारे कोई विवाद नहीं है। मेरे दो खसरे है खसरा संख्या 655, 658 है। दोनो का रकबा करीबन 40 बीघा और कुछ बिस्वा है। यह जमीन वर्तमान में मेरे नाम से है। जमीन तीनों भाईयों और मेरी मां के नाम से

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:25 IST
Reason: SelfAttested

है। मेरी तीन बहिनें है और मेरा एक और अन्य भाई है जो सन्यासी हो गया है जिसका नाम रतनसिंह है। जिन्होंने अपना हिस्सा हम तीनों भाईयों और मेरी मां को दे दिया है। इस दावें मैं हर पेशी पर आता हूं। लेकिन दावें में क्या कार्यवाहियां हुई है मुझे पता नहीं है। वकील साहब को पता है। अज खुद कहा कि मेरे पिताजी, दादाजी और हमने मेरी भुआओं को अपनी हैसियत अनुसार सामाजिक रिति रिवाज अनुसार मामेरा, पशु, अन्य सहायताए जो हमसे संभव हुई व समय समय की लेकिन मेरा भान्जा राणसिंह जमीन की किमतों में वृद्धि होने के कारण जमीन लेने की धमकी दे रहा और जमीन में हक मांग रहा है।

13. प्रकरण में बलवंतसिंह पुत्र जोधसिंह डी0डब्ल्यू0–2 ने वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि मैने दिनांक 19.09.2025 को मैने एक पेज का शपथ पत्र लिखित रूप मे पेश किया। मै सुंदर कंवर के पडोसी व रिश्तेदार हु। ग्राम जीवाणियों की ढाणी मे विवादित आराजी आया हुआ हैं जिसके 655, 668 दो खसरे है व कुल जमीन करीबन 40 बीघा है। यह शपथ पत्र मैने लिखवाया है व मेरे हस्ताक्षर है। इस शपथ पत्र के कितने पद है इसके बारे मे मुझे जानकारी नही है। यह कहना गलत है कि शैतानसिंह वगैरा एवं सुंदर कंवर के आपस मे कोई लेनदेन को लेकर झगडा चल रहा हो। यह दावा आज उक्त आराजी मे नर्मदा नहर आने से सिंचित होने तथा बाजार के भाव मे जमीनी भाव बढने से व नियत मे खोट आने से इन्हे परेशान करने कि नियत से पेश किया है। भंवरसिंह वगैरा 3 बहन व 1 भाई है। बाकी बहनो ने कोई दावा नही किया है। सुंदर कंवर व भंवरसिंह के आटे साटे का सगपण है जिसकी वजह से इनकी आपस मे अनबन रहती है। शपथपत्र मैने हाथ से लिखवाया है।

14. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपने दावे के तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि स्व गुणेशा के वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 5 विधिक वारिसान होने के कारण प्रत्येक का बहिस्सा बराबर 1/4–1/4 खातेदारी घोषणा की जावे। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा बहस प्रस्तुत करते हुए अभिकथन किया कि वादिनी स्व0 गणेशा की विधिक वारिसान नहीं होने एवं प्रतिवादी को परेशान की नियत से दावा पेश किया होने के कारण वादी का दावा खारिज किया जावे।

15. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब प्रकरण का तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में सर्वप्रथम तनकी संख्या 01 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 निम्न प्रकार हैः–

    1. आया वादी मुतनाजा आराजी के पैतृक संपति होने के आधार पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के तहत 1/4 हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।

    .....वादी

16. प्रकरण में तनकी संख्या 01 को साबित करने का भार वादी पर है। प्रकरण का मुख्य विवाद का बिन्दु यह है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी होने से वादिनी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:25 IST
Reason: SelfAttested

सुन्दर कंवर, गणेशा की विधिक वारिसान होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–8 के तहत 1/4 हिस्से की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने से संबंधित है।

17. प्रकरण में अग्रिम विश्लेषण से पूर्व सिविल मामलों में संबंधित पक्षों के दावे व खण्डन के संबंध में साबित करने के भार के संबंध में कानूनी स्थिति का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 के प्रासंगिक प्रावधानों का उद्धरण निम्न प्रकार है–

OF THE BURDEN OF PROOF

104. Burden of proof.—Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist, and when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.

Illustrations.

(a) A desires a Court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed. A must prove that B has committed the crime.

(b) A desires a Court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B, by reason of facts which he asserts, and which B denies, to be true. A must prove the existence of those facts.

105. On whom burden of proof lies.—The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side.

Illustrations.

(a) A sues B for land of which B is in possession, and which, as A asserts, was left to A by the will of C, B's father. If no evidence were given on either side, B would be entitled to retain his possession. Therefore, the burden of proof is on A.

(b) A sues B for money due on a bond. The execution of the bond is admitted, but B says that it was obtained by fraud, which A denies. If no evidence were given on either side, A would succeed, as the bond is not disputed and the fraud is not proved. Therefore, the burden of proof is on B.

106. Burden of proof as to particular fact.—The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the Court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person.

Illustration.

A prosecutes B for theft, and wishes the Court to believe that B admitted the theft to C. A must prove the admission. B wishes the Court to believe that, at the time in question, he was elsewhere. He must prove it.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:25 IST
Reason: SelfAttested

107. Burden of proving fact to be proved to make evidence admissible.— The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence.

Illustrations.

(a) A wishes to prove a dying declaration by B. A must prove B's death.

(b) A wishes to prove, by secondary evidence, the contents of a lost document. A must prove that the document has been lost.

18. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2413/2006 उनवान में निर्णय दिनांक 02.05.2006 में साक्ष्य अधिनियम–1887 के प्रासंगिक प्रावधानों की विवेचना करते हुए किसी दावे में साबित करने के भार के बारे में विस्तृत विवेचना करते हुए न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रासंगिक विवेचन का उद्धरण निम्न प्रकार है–

The initial burden of proof would be on the plaintiff in view of Section 101 of the Evidence Act, which reads as under:-

"Sec. 101. Burden of proof.- Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist.

When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person."

In terms of the said provision, the burden of proving the fact rests on the party who substantially asserts the affirmative issues and not the party who denies it. The said rule may not be universal in its application and there may be exception thereto.....

Pleading is not evidence, far less proof. Issues are raised on the basis of the pleadings. The defendant-appellant having not admitted or acknowledged the fiduciary relationship between the parties, indisputably, the relationship between the parties itself would be an issue. The suit will fail if both the parties do not adduce any evidence, in view of Section 102 of the Evidence Act. Thus, ordinarily, the burden of proof would be on the party who asserts the affirmative of the issue and it rests, after evidence is gone into, upon the party against whom, at the time the question arises, judgment would be given, if no further evidence were to be adduced by either side.

xxx

There is another aspect of the matter which should be borne in mind. A distinction exists between a burden of proof and onus of proof. The right to begin follows onus probandi. It assumes importance in the early stage of a case. The question of onus of proof has greater force, where the question is which party is to begin. Burden of proof is used in three ways : (i) to indicate the duty of bringing forward evidence in support of a proposition at the beginning or later; (ii) to make that of establishing a proposition as against all counter evidence; and (iii) an indiscriminate use in which it may mean either or both of the others. The elementary rule is Section 101 is inflexible. In terms of Section 102 the initial onus is always on the plaintiff and if he discharges that onus and makes out a case which entitles him to a relief, the

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:25 IST
Reason: SelfAttested

onus shifts to the defendant to prove those circumstances, if any, which would disentitle the plaintiff to the same.

In R.V.E. Venkatachala Gounder v. Arulmigu Viswesaraswami & V.P. Temple and Anr., the law is stated in the following terms :

> *"29. In a suit for recovery of possession based on title it is for the plaintiff to prove his title and satisfy the court that he, in law, is entitled to dispossess the defendant from his possession over the suit property and for the possession to be restored to him. However, as held in A. Raghavamma v. A. Chenchamma there is an essential distinction between burden of proof and onus of proof:*
>
> *burden of proof lies upon a person who has to prove the fact and which never shifts. Onus of proof shifts. Such a shifting of onus is a continuous process in the evaluation of evidence. In our opinion, in a suit for possession based on title once the plaintiff has been able to create a high degree of probability so as to shift the onus on the defendant it is for the defendant to discharge his onus and in the absence thereof the burden of proof lying on the plaintiff shall be held to have been discharged so as to amount to proof of the plaintiff's title."*

19. प्रकरण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 के प्रासंगिक प्रावधानों तथा उक्त न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन करने पर कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि जहां आपराधिक प्रकरणों में निर्णयन संदेहरहित प्रमाणन के आधार पर किया जाता है। वही सिविल प्रकृति के मामलों में संभावनाओं की प्रबलता/प्रधानता के आधार पर निर्णयन किया जाता है। साथ ही यह भी कानूनी स्थिति है कि दावे के अभिवचन साक्ष्य नहीं होते है। दावाकर्त्ता व्यक्ति को अपने दावे के समर्थन में पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपने दावे के तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है।

20. इसके साथ ही यह भी कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि सबूत का भार (Burden of Proof) तथा प्रमाण का भार (Onus of Proof) में अंतर है। किसी सिविल दावे में सबूत का भार (Burden of Proof) प्रमुखतः वादी पर होता है। सबूत का भार (Burden of Proof) स्थानांतरित नहीं होता है। जबकि प्रमाण का भार (Onus of Proof) स्थानांतरित होता है। किसी सिविल दावे में किसी तथ्य को साबित करने का भार (Burden of Proof) उस तथ्य के आधार पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होता है। जब किसी तथ्य को किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाण का भार (Onus of Proof) पूर्ण करते हुए साबित करने का दायित्व पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार (Onus of Proof) प्रतिद्वंदी पर आ जाता है। अब प्रतिद्वंदी को उक्त तथ्य विशेष के खण्डन हेतु साबित करने का भार (Onus of Proof) होने के कारण अगर प्रमाण प्रस्तुत करते हुए प्रमाणन का भार (Onus of Proof) पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार (Onus of Proof) वापस स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार प्रमाण का भार (Onus of Proof) स्थानांतरित होता रहता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। जो व्यक्ति प्रमाणन का भार (Onus of Proof) का दायित्व पूर्ण करने में असफल रहता है उसके विरूद्ध उक्त तथ्य को साबित माना जाता है।

21. इस प्रकार उक्त कानूनी स्थिति के संदर्भ में प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि प्रकरण में

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:25 IST
Reason: SelfAttested

निहित विवाद का आधार बिन्दु यह है कि वादी सुन्दर कंवर, स्व0 गणेशा की पुत्री है अथवा नहीं। वादी के दावे का मुख्य आधार यह है कि वादी, गणेशा पुत्र प्रागा की विधिक वारिस है जबकि प्रतिवादी का मुख्य खण्डन है कि वादी, गणेशा की वारिस नहीं है। इस संबंध में उक्त तथ्य को साबित करने का भार वादी पर है। इस संबंध में वादी द्वारा अपने दावे के अभिवचन में उल्लेखित किया है कि गणेशा पुत्र प्रागा की विधिक वारिस वादी है। यहां उल्लेखनीय है कि कानूनी स्थिति है कि दावे के अभिवचन साक्ष्य नहीं होते है। दावाकर्त्ता व्यक्ति को अपने दावे के समर्थन में पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपने दावे के तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है। अतः केवल दावे के अभिवचन के आधार पर ही वादी को गणेशा की पुत्री होने के तथ्य को साबित नहीं माना जा सकता है। वादी के दावे के उक्त अभिवचन का प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे में स्पष्ट व विशेष खण्डन किया है। प्रतिवादी के द्वारा उक्त तथ्य के स्पष्ट व विशेष खण्डन की स्थिति में वादी द्वारा उक्त तथ्य को साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित किया जाना और आवश्यक हो जाता है।

22. अब प्रकरण में उक्त तथ्य के संबंध में वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में वादिनी ने अपने आप को स्व गुणेशा की वारिस होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। वादिनी द्वारा स्व0 गुणेशा की वारिस होने के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण वादी एवं प्रतिवादी साक्ष्य का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। तत्पश्चात प्रतिवादी साक्ष्य DW–01 के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी ने अपनी जिरह में स्व0 गणेशाजी के तीन बेटिया सुन्दर, मांगी और कानू एवं एक बेटा भंवरसिंह होना स्वीकार किया है। यहां उल्लेखनीय है कि विधि की सुस्थापित स्थिति है कि किसी तथ्य को विपक्षी पक्षकार द्वारा स्वीकार करना सर्वोत्तम साक्ष्य है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा प्रतिपरीक्षण में वादी को गुणेशा की पुत्री स्वीकार करना अपने आप में वादी के गुणेशा की पुत्री होने के तथ्य को साबित करता है। इस प्रकार वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 01, 04 व 05 स्व0 गणेशाजी के पुत्र–पुत्रिया होना प्रमाणित है। इस प्रकार वादी अपने उपर आरोपित गुणेशा की पुत्री होने के तथ्य के प्रमाणन के भार को निर्वहन करने में सफल रही है। इससे प्रमाणन का भार प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित होता है। अब प्रमाणन का भार प्रतिवादी पर है कि वह वादी के गुणेशा की पुत्री होने के तथ्य को नकारात्मक रूप से प्रमाणित करे।

23. इस संबंध में प्रतिवादी के गवाहों के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में प्रतिवादी के गवाहों के द्वारा प्रस्तुत हलफनामों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सभी गवाहों ने इस बात को उल्लेखित किया है कि प्रतिवादी द्वारा प्रतिपरीक्षण में वादी को गुणेशा की पुत्री स्वीकार करना अपने आप में वादी के गुणेशा की पुत्री होने के तथ्य को साबित करता है। इस संबंध में प्रतिवादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार को निर्वहन करने में प्रतिवादी असफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार वापस वादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है। इस प्रकार वादी अपने उपर आरोपित गुणेशा की पुत्री होने के तथ्य को उक्तानुसार साबित करने में सफल रही है। इस प्रकार वादी को गुणेशा की ही पुत्री माना जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:25 IST
Reason: SelfAttested

24. उक्त प्रकार से अब प्रकरण में वादी को गुणेशा की पुत्री माने जाने के पश्चात प्रकरण का विधिक आधारों पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित प्रतीत होता है। प्रकरण में उक्त तनकी संख्या 01, 02 सारतः हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 से संबंधित है। प्रकरण में तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण आवश्यक है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–8 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> ***8. General rules of succession in the case of males.—***
> *The property of a male Hindu dying intestate shall devolve according to the provisions of this Chapter:—*
> *(a) firstly, upon the heirs, being the relatives specified in class I of the Schedule;*
> *(b) secondly, if there is no heir of class I, then upon the heirs, being the relatives specified in class II of the Schedule;*
> *(c) thirdly, if there is no heir of any of the two classes, then upon the agnates of the deceased; and*
> *(d) lastly, if there is no agnate, then upon the cognates of the deceased.*

25. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–8 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–8 के अनुसार सर्वप्रथम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–1 के अनुसार दर्ज किये जाने के प्रावधान है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग के अन्तर्गत वारिसों के मध्य संपत्ति की विरासत के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 तथा धारा–10 के तहत प्रावधान बनाये गये है। प्रकरण में अपीलार्थी हिन्दू मृतक के वारिस अभिकथित किये जाने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 तथा धारा–10 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> ***9. Order of succession among heirs in the Schedule.—***
> *Among the heirs specified in the Schedule, those in class I shall take simultaneously and to the exclusion of all other heirs; those in the first entry in class II shall be preferred to those in the second entry; those in the second entry shall be preferred to those in the third entry; and so on in succession.*
>
> ***10. Distribution of property among heirs in class I of the Schedule.*** *—The property of an intestate shall be divided among the heirs in class I of the Schedule in accordance with the following rules: —*
> *Rule 1.—The intestate's widow, or if there are more widows than one, all the widows together, shall take one share.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:25 IST
Reason: SelfAttested

Rule 2.—The surviving sons and daughters and the mother of the intestate shall each take one share.
Rule 3.—The heirs in the branch of each pre-deceased son or each pre-deceased daughter of the intestate shall take between them one share.
Rule 4.—The distribution of the share referred to in Rule 3—
(i) among the heirs in the branch of the pre-deceased son shall be so made that his widow (or widows together) and the surviving sons and daughters get equal portions; and the branch of his pre-deceased sons gets the same portion;
(ii) among the heirs in the branch of the pre-deceased daughter shall be so made that the surviving sons and daughters get equal portions.

26. उक्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 तथा धारा–10 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के सभी वारिस एक साथ तथा एक समान भाग प्राप्त करते है। किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार अगर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिस उपलब्ध नहीं होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–02 के वारिसों में सर्वप्रथम प्रथम प्रविष्टि के वारिसों के नाम विरासत दर्ज करने के प्रावधान है। किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन के सामान्य नियम व निर्देश दिये गये है।

27. प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन हेतु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

THE SCHEDULE (See section 8)
HEIRS IN CLASS I AND CLASS II

Class I

Son; daughter; widow; mother; son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son; son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter; widow of a pre-deceased son; son of a pre-deceased son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased son; widow of a pre-deceased son of a pre-deceased son [son of a predeceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased son.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:25 IST
Reason: SelfAttested

28. प्रथम श्रेणी के वारिसों को निम्न सारणी अनुसार समझा जा सकता है–

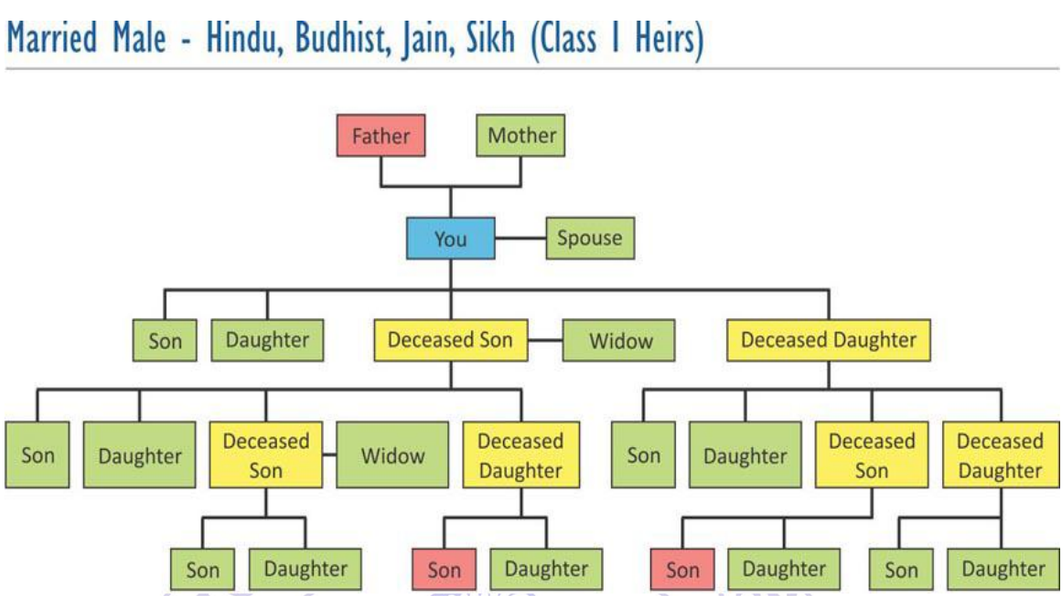

29. प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन हेतु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची का प्रकरण में अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों में मृतक हिन्दू पुरूष के असल पुत्र, पुत्रीयों, पत्नी तथा माता को भी एक समान भाग प्राप्त होने के प्रावधान है।

30. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रागा के 01 पुत्र गुणेशा रहा है। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के न्यायगमन के आधार पर प्रागा की संपत्ति में गुणेशा का सालिम हिस्सा निहित है। इसी प्रकार प्रकरण में वादी व प्रतिवादी संख्या 01, 04–05 अपने पिता गुणेशा की प्रथम श्रेणी की वारिस है। इस कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के न्यागमन होने की स्थिति में गुणेशा की प्रथम श्रेणी की वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 01, 04–05 को गुणेशा का उक्त संपत्ति में से 1/4–1/4 हिस्सा वादी के उपर न्यागत होना विधिसंगत है। अतः वादी के पिता गुणेशा की सम्पत्ति में वादी व प्रतिवादी संख्या 01, 04–05 के 1/4–1/4 हित व अधिकार निहित हैं।

31. प्रकरण में वादी अपने पिता गुणेशा की प्रथम श्रेणी की वारिस है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा गुणेशा की विरासत वादी व प्रतिवादी संख्या 01, 04–05 के प्रथम श्रेणी के वारिस होकर उपस्थित होने के बावजूद भी केवल प्रतिवादी संख्या 01 के नाम हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के विपरीत दर्ज की है। इस आधार पर मुतनाजा आराजी पर गुणेशा पुत्र प्रागा के हिस्से पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01,

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:25 IST
Reason: SelfAttested

04–05 के 1/4–1/4 हित व अधिकार निहित है। यहां उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 के तहत किसी काश्तकार के पूर्व से ही निहित अधिकारों की घोषणा करने हेतु प्रावधान बनाए गए है। एक प्रकार से खातेदारी अधिकारों की घोषणा किसी प्रकार के अधिकारों का नवसृजन नहीं है। बल्कि संबंधित काश्तकार के प्रश्नगत आराजी में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 के तहत या अन्य प्रभावी कानून के तहत प्रदत्त एवं पूर्व से ही निहित अधिकारों का प्रस्फुटन/उद्घोषणा मात्र है। इस प्रकार तनकी संख्या 01 को साबित करने में वादी सफल रहा है। इस प्रकार तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष में स्वीकार की जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

32. प्रकरण में अब तनकी संख्या 02 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण मे तनकी संख्या 02 निम्न प्रकार हैः–

    2. आया वादी मुतनाजा आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

    .....वादी

33. प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि तनकी संख्या 02 स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है। प्रकरण में उक्त तनकी के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः–

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

34. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:25 IST
Reason: SelfAttested

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

35. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष में स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का तनकी संख्या 01 स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी होने से वादी के किसी निश्चित भू–भाग पर विधिक विभाजन करवाने के पश्चात कब्जे स्पष्ट है। इस प्रकार अगर वादी की खातेदारी व पृथक खाता में दर्ज कब्जेसुदा आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो निश्चित ही वादी के खातेदारी अधिकारों को क्षति उत्पन्न होगी व न्यायिक कार्यवाहियों की बहुलता उत्पन्न होना प्रबल संभावित है। परंतु बिना विभाजन संयुक्त आराजी पर सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधिसंगत नहीं है। क्योंकि संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक भाग पर समान स्वामित्व व कब्जा माना जाता है। इस स्थिति में बिना विभाजन करवाए किसी एक विशेष सहखातेदार का किसी एक विशेष भू–भाग पर कब्जा नहीं माना जा सकता है। अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपनी खातेदारी आराजी का बिना विधिक विभाजन करवाए स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

36. प्रकरण में अब तनकी संख्या 03 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण मे तनकी संख्या 03 निम्न प्रकार हैः–

    3. आया वादी गुणेशा की विधिक वारिस नहीं है।

    .....प्रतिवादी

37. प्रकरण में तनकी संख्या 01 के वादीगण के पक्ष में फैसल होने तथा उक्त तनकी संख्या 03 की विषयवस्तु पर तनकी संख्या 01 के विवेचन में ही विश्लेषण किये जाने के कारण पृथक से विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रतिवादी शैतानसिंह पुत्र भंवरसिंह द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वादी गुणेशा के पुत्री है। प्रकरण में प्रतिवादी उक्त तनकी संख्या 03 को साबित करने में

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:25 IST
Reason: SelfAttested

असफल रहे है। उक्तानुसार तनकी संख्या 03 प्रतिवादी के विरूद्ध फैसल की जाती है।

38. प्रकरण में अब तनकी संख्या 05 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण मे तनकी संख्या 05 निम्न प्रकार हैः—

> 5. आया वादी को उक्त आराजी में कोई विधिक अधिकार नहीं होने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।
>
> .....प्रतिवादी

39. प्रकरण में तनकी संख्या 01 के वादीगण के पक्ष में फैसल होने तथा उक्त तनकी की विषयवस्तु पर तनकी संख्या 01 के विवेचन में ही विश्लेषण किये जाने के कारण पृथक से विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में प्रतिवादी उक्त तनकी संख्या 05 को साबित करने में असफल रहे है। उक्तानुसार तनकी संख्या 05 प्रतिवादी के विरूद्ध फैसल की जाती है।

40. प्रकरण में अब तनकी संख्या 04 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण मे तनकी संख्या 04 निम्न प्रकार हैः—

> 4. आया वादी का मुतनाजा आराजी पर कब्जा नहीं होने के कारण वादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।
>
> .....प्रतिवादी

41. प्रकरण में तनकी संख्या 04 मुतनाजा आराजी पर कब्जे के संबंध में है। जहां एकतरफ वादी का अभिकथन है कि वादी की मौके पर कब्जा काश्त है। जबकि इसके खण्डन में प्रतिवादी का अभिकथन है कि मुतनाजा आराजी के मौके पर वादी का कब्जा काश्त नहीं है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। परंतु प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। जबकि कानूनन यह उपधारणा की जाती है कि किसी संपत्ति में निहित हकधारक का कब्जा स्वमेव माना जाता है। प्रतिवादी इस कानूनी उपधारणा को विपरीत रूप से साबित करने में असफल रहे है। इस आधार पर प्रकरण में प्रतिवादी उक्त तनकी संख्या 04 को साबित करने में असफल रहे है। उक्तानुसार तनकी संख्या 04 प्रतिवादी के विरूद्ध फैसल की जाती है।

42. निष्कर्षतः प्रकरण में प्रकरण में वादी व प्रतिवादी संख्या 01, 04—05 अपने पिता गुणेशा की प्रथम श्रेणी की वारिस है। इस आधार पर उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के न्यायगमन के आधार पर प्रागा की संपत्ति में गुणेशा का सालिम हिस्सा निहित है। इसी प्रकार प्रकरण में वादी व प्रतिवादी संख्या 01, 04—05 अपने पिता गुणेशा की प्रथम श्रेणी की वारिस है। इस कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की अनुसूची के वर्ग—01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के न्यागमन होने की स्थिति में गुणेशा की प्रथम श्रेणी की वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 01, 04—05 को गुणेशा का उक्त संपत्ति में से 1/4—1/4 हिस्सा वादी के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:25 IST
Reason: SelfAttested

उपर न्यागत होना विधिसंगत है। अतः इस आधार पर न्यायालय अपने विनम्र मत में गुणेशा की सम्पत्ति में वादी व प्रतिवादी संख्या 01, 04–05 के 1/4–1/4 हिस्से का हित व अधिकार निहित होने के आधार पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01, 04–05 के 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत् इस्तक्करारहक मंजूर किया जाकर डिक्री इस कदर जारी की जाती है कि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 655 रकबा 08–08 बीघा, 668 रकबा 30–13 बीघा मौजा जीवाणियों की ढाणी पटवार हल्का बारासण तहसील गुड़ामालानी में वादी व प्रतिवादी संख्या 01, 04–05 के 1/4–1/4 हित व अधिकार निहित हिस्से की घोषणा करते हुए वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार वादी के मुतनाजा आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के पश्चात मुतनाजा आराजी में वादी के घोषित हिस्से का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 27.03.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:25 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2021/83 दर्ज तिथिः–22.03.2021

1. सुन्दर कंवर पुत्री गणेशाजी पत्नी रूगनाथसिंह
   जाति राजपुत निवासी जीवाणियों की ढाणी हाल सिवाना तहसील सिवाना

.....वादी

बनाम

1. भंवरसिंह पुत्री गणेशाजी फौत के वारिसान
   1/1 शैतानसिंह पुत्र भंवरसिंह
   1/2 राजूसिंह पुत्र भंवरसिंह
   1/3 महेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह
   1/4 दरिया कंवर पुत्री भंवरसिंह
   1/5 शान्ताकंवर पुत्री भंवरसिंह
   1/6 कमलाकंवर पुत्री भंवरसिंह
   1/7 मिसरी कवंर पत्नी भंवरसिंह
   जाति राजपुत निवासी जीवाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी।
2. शाखा प्रबधंक एसबीआई बैंक शाखा गुड़ामालानी
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी
4. मांगी कंवर पुत्री गुणेशाजी पत्नी चतरसिंह
   जाति राजपुत निवासी सिणधरी तहसील सिणधरी।
5. कानू कंवर पुत्री गुणेशाजी पत्नी मिश्रसिंह
   जाति राजपुत निवासी जीवाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री हरीशचन्द्र चौधरी
प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7
–श्री चिमनसिंह चौधरी
शेष प्रतिवादीगणः–एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

वादी का दावा बाबत् इस्तक्करारहक मंजूर किया जाकर डिक्री इस कदर जारी की जाती है कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:25 IST
Reason: SelfAttested

मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 655 रकबा 08–08 बीघा, 668 रकबा 30–13 बीघा मौजा जीवाणियों की ढाणी पटवार हल्का बारासण तहसील गुड़ामालानी में वादी व प्रतिवादी संख्या 01, 04–05 के 1/4–1/4 हित व अधिकार निहित हिस्से की घोषणा करते हुए वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार वादी के मुतनाजा आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के पश्चात मुतनाजा आराजी में वादी के घोषित हिस्से का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु संबंधित को तहरीर जारी की जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.06 10:56:25 IST
Reason: SelfAttested